बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या–3/कृ० बजट–आवंटन–21/2016 119 (आवंटन) कृ०, पटना दिनांक– 04-11-2016

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान, स्थापना से संबंधित अन्य मद तथा कोर्डिनेटेड वेराइटल ट्रायल एवं 3डी प्रिंटर के लिए 4509.90 लाख रू० (पैंतालीस करोड़ नौ लाख नब्बे हजार रू०) की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजाति के लिए 45.099 लाख रू० (पैंतालीस लाख नौ हजार नौ सौ रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹45,09,900 (पैंतालीस लाख नौ हजार नौ सौ रू०) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्याः–4521 दिनांक–25.10.2016 द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान, स्थापना से संबंधित अन्य मद तथा कोर्डिनेटेड वेराइटल ट्रायल एवं 3डी प्रिंटर के लिए 4509.90 लाख रू० (पैंतालीस करोड़ नौ लाख नब्बे हजार रू०) की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजाति के लिए 45.099 लाख रू० (पैंतालीस लाख नौ हजार नौ सौ रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल ₹45,09,900 (पैंतालीस लाख नौ हजार नौ सौ रू०) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹45,09,900 (पैंतालीस लाख नौ हजार नौ सौ रू०) की राशि का व्यय बजट शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उपमुख्यशीर्ष–01–फसल कृषि कर्म–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग संख्या – 01 – उपशीर्ष–0104–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–P2415017960104 के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में विषयशीर्ष–31 04–सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि ₹50,00,000 (पचास लाख रू०) में से ₹36,01,180 (छत्तीस लाख एक हजार एक सौ अस्सी रू०) एवं विषयशीर्ष–3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि ₹46,00,000 (छियालीस लाख रू०) में से ₹9,08,720 (नौ लाख आठ हजार सात सौ बीस रू०) विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांकः–2561 वि० (2) दि०–17.04.98 एवं पत्रांकः–4572 दि०–03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

(प्रभु राम) 4/11/16
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

21 D:\Aawantan\University\03-03-2016.docx

ज्ञापांकः— 119 (आवंटन) /कृ०, पटना, दिनांक— 04-11-2016

प्रतिलिपिः— महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 119 (आवंटन) /कृ०, पटना, दिनांक— 04-11-2016

प्रतिलिपिः— कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/वित्त विभाग, (बजट –शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा–04,समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।